राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 3781/2024

भेरू सिंह पुत्र विजय सिंह जी, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी ग्राम सारसर का गुड़ा, ग्राम पंचायत उमरवास, तह कुम्भलगढ़, चारभुजा (गढ़बोर), जिला राजसमंद।

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री केशव भाटी

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मुक्तियार खान, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>01/07/2024</u>

1. धारा 482 सीआरपीसी के तहत तत्काल याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जो आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 08/2023 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, जिला राजसमंद द्वारा पारित दिनांक 17.01.2024 के आदेश से व्यथित है, जिसने बदले में विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा पारित दिनांक 19.12.2022 के आदेश को बरकरार रखा। ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका को खारिज कर दिया था और पुलिस स्टेशन राजनगर, राजसमंद में एफआईआर संख्या 116/2011 में एफआर संख्या 37/2011 को स्वीकार कर लिया था।

2. प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बालिग बेटी लापता है और परिवार द्वारा खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया है। इस सूचना के आधार पर आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने मामले में नकारात्मक रिपोर्ट पेश की। याचिकाकर्ता की विरोध याचिका को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 19.12.2022 के आदेश से खारिज कर दिया और अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली।

3. याचिका में दी गई उपरोक्त कहानी की पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है।

4. सबसे पहले, मैं यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य हूं कि कथित घटना और याचिकाकर्ता द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बीच आज यानी 13 वर्षों के अंतराल के बाद काफी समय बीत जाने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इतने वर्षों में साक्ष्य पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं।

5. इसके अलावा, याचिकाकर्ता की बेटी द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान के मद्देनजर, जिसमें उसने कहा है कि वह अपनी मर्जी से कथित आरोपी के साथ गई थी, याचिकाकर्ता के स्वार्थी आरोपों में कोई दम नहीं है।

6. इसके अलावा, एजेंसी द्वारा इसकी जांच की गई, और यह पाया गया कि याचिकाकर्ता की बेटी वास्तव में अपनी मर्जी से गई थी, जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसे विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किया गया आक्षेपित आदेश किसी भी तरह से अनुचित या गलत नहीं है। आक्षेपित आदेश पारित करते समय ट्रायल कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता को एक पुष्ट बयान देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन शिकायतकर्ता ने एक और अवसर मांगा, जिसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि शिकायतकर्ता को अनिश्चित काल तक अवसर नहीं दिया जा सकता। तदनुसार, साक्ष्य के अभाव में, शिकायतकर्ता का अवसर समाप्त कर दिया गया और एफआर को स्वीकार कर लिया गया।

8. इसके अलावा, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा विरोध याचिका को खारिज करने में दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसलिए सत्र न्यायालय द्वारा इसे सही ठहराया गया है।

9. समग्र आधार पर, याचिका में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के

लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।